कार्यालय जिला एवं सैशन न्यायाधीश, भरतपुर

आदेश

क्रमांक : स्था./2026/ 349 दिनांक : 19/11/26

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्र क्रमांक 1065 दिनांक 09.08.2016 के अनुसरण में कॉलम संख्या 2 में अंकित न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों में से कॉलम संख्या 3, 4 व 5 में अंकित प्रकरणों एवं इनसे संबंधित विविध प्रकरणों को कॉलम संख्या 6 में अंकित न्यायालय में विधि अनुसार सुनवाई एवं निस्तारण हेतु अन्तरित किया जाता है:–

क्र. सं.	नाम न्यायालय, जहां से प्रकरण अंतरित किये जाने हैं।			अंतरित किये जाने वाले प्रकरणों की संख्या	नाम न्यायालय जहां प्रकरण अंतरित किये जाने हैं।
		वर्ष	किस्म मुकदमा		
1	2	3	4	5	6
01	अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश सं0 1, भरतपुर	2025	नियमित दिवानी वाद	10	अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश सं0 3, भरतपुर
		2026	नियमित दिवानी वाद	10	
		2025	नियमित दिवानी अपील	20	
02	अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश सं0 2, भरतपुर	2026	नियमित दिवानी अपील	12	
03	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,संख्या 02 भरतपुर	2026	एन.आई.एक्ट प्रकरण	60	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भरतपुर
04	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,संख्या 02 भरतपुर	2024	एन.आई.एक्ट प्रकरण	40	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,संख्या 04, भरतपुर
		2026	इस्तगासा एन. आई. एक्ट	30	
		2026	अंतिम प्रतिवेदन	50	
05	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,संख्या 02 भरतपुर	2026	एन.आई.एक्ट प्रकरण	20	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 04, भरतपुर
		2026	इस्तगासा एन. आई. एक्ट	50	
06	विशिष्ट अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, (पीसीपीएनडीटी एक्ट केसेज) भरतपुर	2026	एन.आई.एक्ट प्रकरण	30	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01, भरतपुर
		2026	इस्तगासा एन. आई. एक्ट	100	
07	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, भरतपुर	2023	नियमित दिवानी वाद	30	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, (किराया अधिकरण), भरतपुर
		2025	नियमित दिवानी वाद	20	
		2026	नियमित दिवानी वाद	50	

15-11-2026

08	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–1,बयाना	2025	नियमित फौजदारी (वारंट प्रकरण)	25	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–2,बयाना
09	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–1,बयाना	2024	नियमित फौजदारी (सम्मन प्रकरण)	20	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बयाना
		2025	नियमित फौजदारी (सम्मन प्रकरण)	20	
		2026	नियमित फौजदारी (सम्मन प्रकरण)	10	
10	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, रूपवास	2026	नियमित दिवानी वाद	20	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, रूपवास

नोटः–

1. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व अपीलीय न्यायालय द्वारा जिन प्रकरणों में शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिये गये हैं व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन दिया गया है, उन प्रकरणों को अन्तरित नहीं किया जावें।

2 दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 408, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के तहत पूर्व में अंतरित किये गये प्रकरणों को तथा उन प्रकरणों को अन्तरित नहीं किये जाने प्रस्तावित हैं, जो क्रॉस केस के रूप में साथ–साथ विचारण करने योग्य होते हैं,

3 प्रायः यह देखने में आया है कि न्यायालयों द्वारा प्रकरण अगले त्रैमास तक अन्तरित किए जाते हैं और वेसम्बन्धित न्यायालयों में अगले त्रैमास के बाद तक दर्ज किये जाते हैं, जिससे सही स्थिति सी.आई. एस. पर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष स्पष्ट नहीं हो पाती है। अतः अन्तरित किए जाने वाले प्रकरणों को आदेश की दिनांक से आगामी 4 दिवस के अन्दर सम्बन्धित न्यायालयों में अन्तरित किए जाने व सम्बन्धित न्यायालयों द्वारा भी अगले 4 दिवस के अन्दर दर्ज कर सी.आई.एस. पर सही स्थिति दर्शित किए जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

19-11-2026

जिला एवं सैशन न्यायाधीश,
भरतपुर

क्रमांक : स्था./2026/ 4736 दिनांक : 19/11/26

प्रतिलिपिः–

1.अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश सं0 1,2,3, भरतपुर
2.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ,भरतपुर
3.विशिष्ठ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पीसीपीएनडीटी एक्ट केसेज), भरतपुर
4.वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, (किराया अधिकरण), भरतपुर
4.अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, 2/4, भरतपुर/संख्या 1,2 बयाना
5.अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 1/4, भरतपुर/रूपवास
6सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, भरतपुर/बयाना/रूपवास
7.अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, भरतपुर/बयाना/रूपवास
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
8.प्रोटोकॉल ऑफिसर एवं प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय, भरतपुर
9.आदेश/सम्बन्धित पत्रावली

19-11-2026

जिला एवं सैशन न्यायाधीश,
भरतपुर